51 पेज नं०

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(1)

हरजी बनाम मस्तराम वगैरह

किस्म मुकदमा– 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या –: 64/2025 (रूपनगढ)

13/1/25
17/1/25

	श्री रूपक शर्मा एडवोकेट	
17.01.2025	हरजी बनाम मस्तराम वगैरह (2025/64) यह अपील श्री रूपक शर्मा एडवोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ द्वारा प्रकरण संख्या 01/2025 में पारित आदेश दिनांक 16.01.2025 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की है। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया गया। प्रार्थना पत्र स्थगन पर अभिभाषक अपीलांट को सुना गया। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र स्थगन निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात भूमि है एवं मौके पर काबिज काश्त है जिसके समीप ही खसरा नम्बर 35 गैर मु0 रास्ता है उक्त रास्ते की आड में रेस्पोडेन्टस द्वारा आपस में मिली भगत करके राजनैतिक द्वेषता से अपीलार्थीगण की भूमि को हडप करने के अवैध मंसूबे से मौके से बेदखल करने पर आमादा है एवं मौके पर अपीलार्थीगण का कब्जा है एवं मौके पर रास्ता चालू है बिना सीमाज्ञान किए रास्ते की आड में मौके से बेदखल करने पर उतारू है जिस बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण के तथ्यों व वास्तविकता को देखते हुए दिनांक 2.1.2025 को उपरोक्त खसरा नम्बरान की भूमि में मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु रेस्पोडेंटस को पावंद किया गया है जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 13.2.2025 को नियत की गई। उक्त प्रकारण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा दिनांक 15.1.2025 को एक शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त पत्रावली को दिनांक 16.1.2025 को तलब कर ली गई उक्त दिनांक 16.1.2025 की जानकारी किसी प्रकार से ना तो अपीलार्थीगण को है एव ना ही अपीलार्थीगण के अधिवक्ता डॉ रामदेव गुर्जर को थी उक्त प्रकारण में दिनांक 16.1.2025 को अधिवक्ता के जुनियर जितेन्द्र शर्मा द्वारा अन्य प्रकरण में उपस्थिति हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ तब उपरोक्त पत्रावली हेतु अधिवक्ता को आवाज लगाई तब जुनियर अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि आज सिनियर अधिवक्ता डॉ रामदेव गुर्जर आज उपस्थित नहीं हो सकते उनकी तबीयत खराब है एवं वह डाक्टर को दिखाने गए हुए है एवं उक्त प्रकरण में आज तारीख पेशी को है जिसकी जानकारी नहीं है अतः इस प्रकरण में आप जो भी आगामी तारीख पेशी को है जिसकी जानकारी नहीं है अतः इस प्रकारण में आप जो भी आगामी तारीख पेशी दे उक्त दिनांक को उपस्थित होकर निवेदन कर दिया जाएग। उक्त प्रकरण में जो भी अधीनस्थ न्यायालय तारीख पेशी देंगे उक्त दिनांक को आवश्यक रूप से निवेदन कर दिया जाएगा। तारीख पेशी कल दिनांक 17.1.2025 को नियत कर दी जाए एव लिखित में जुनियर अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत कर दिया गया एवं लिखित में जुनियर अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत कर दिया गया एवं उपरोक्त प्रकरण में भू–माफिया किस्म के राजनैतिक प्रभाव वाले व्यक्ति गोपाल, नोसर, फूली, गोरधन जयराम रामनिवास द्वारा प्रकरण में प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी	

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें भी किसी प्रकार का कोई जवाब प्राप्त करना या बहस नहीं की गई एवं उपरोक्त व्यक्तियों की बहस सुनकर दिनांक 16.1.2025 को पूर्व में पारित आदेश दिनांक 2.1.2025 को निरस्त कर दिया गया। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.01.2025 की क्रियान्विति मूल अपील स्थगित किये जाने के आदेश प्रदान करावें अथवा उभयपक्षों को ताफैसला अपील मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान करावें।

हमने अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन पर की गई बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश तथा अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हमने पाया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया जिसे दिनांक 02.01.2025 को एकपक्षीय सुना जाकर यथास्थिति बाबत अंतरिम आदेश पारित किये गये। दिनांक 16.01.2025 अप्रार्थी द्वारा शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश किया तथा उसी दिन अंतरिम स्थगन आदेश में से खसरा संख्या 35 को स्थगन मुक्त कर दिया गया। अपील के अवलोकन तथा शपथ पत्रों से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि अभिभाषक अपीलांट को समुचित सुनवाई का अवसर नहीं देते हुए आदेश पारित किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.01.2025 को निरस्त किया जाना तथा दिनांक 02.01.2025 में को यथावत रखा जाना न्यायोचित है हमारा यह मत है कि पक्षकारान के बीच कृषि भूमि संबंधित सद्भाविक वाद विद्यमान है तथा वाद के विचाराधीन रहते हुए माननीय उच्चतर न्यायालयों के अनेको सिद्धान्त में यह प्रतिपादित किया है कि वादग्रस्त आराजीयात को सुरक्षित एवं संरक्षित रखा जाना चाहिए। यदि अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण के निस्तारण में शीघ्रता लगे तो उभयपक्ष को पाबंद कर जवाब/सुनवाई का अवसर देते हुए गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विचाराधीन है जिसका अंतिम निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय को ही किया जाना है। हम न्यायहित में पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए एवं समुचित न्याय निर्णय के उद्देश्य से प्रार्थना—पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का 30 दिवस में निस्तारण करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ को निर्देशित करना उचित समझते है।

अतः अपील इसी स्तर पर निर्णित की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ के प्रकरण संख्या 1/2025 में पारित आदेश दिनांक 16.01.2025 को निरस्त किया जाता है तथा उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ के आदेश दिनांक 02.01.2025 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में आवश्यक्ता सिद्ध होने पर उभयपक्ष को पाबंद कर, उनके समक्ष लम्बित प्रार्थना—पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण गुणावगुण पर 30 दिवस में आवश्यक रूप से करें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण किये जाने के उपरांत न्यायालय हाजा का आदेश स्वतः निष्प्रभावी माना जायेगा। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो

राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned with CamScanner

न्यायालय श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 64/2025

1. हरजी पुत्र कल्याण
2. गोरधन पुत्र सुखाराम
3. नन्दाराम पुत्र सुखाराम
4. मोहनराम चौधरी पुत्र सुखाराम
5. श्योजीराम पुत्र कामड़
6. महादेव पुत्र कानाराम

सर्व जाति जाट सर्व निवासी ग्राम शिवनगर तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।

अपीलान्ट्स/अपीलार्थीगण

बनाम

1. मस्तराम पुत्र स्व0 श्री कानाराम उम्र बालिग जाति जाट निवासी ग्राम सिनोदिया तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
2. श्रीमान् तहसीलदार महोदय, रूपनगढ़ तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।

---रेस्पोडेन्टस्/प्रत्यर्थीगण

<u>अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध एकपक्षीय रूप से पारित आदेश दिनांक 16.01.2025 बउनवानी हरजी व अन्य बनाम मस्तराम वगैरह राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 01/2025 में पारित आदेश श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, रूपनगढ़ के विरूद्ध</u>

महोदय,

अपीलान्ट्स/अपीलार्थीगण की ओर से अपील प्रस्तुत कर निम्न प्रकार से निवेदन है कि :-

(अ) **अपील के संक्षिप्त तथ्य :-**

यह कि अपीलार्थीगण द्वारा माननीय अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया है एवं उसके साथ धारा 212 आर0टी0एक्ट का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम शिवनगर पटवार हल्का सिनोदिया तहसील रूपनगढ़

Scanned with CamScanner